

REQUEST FOR SELECTION(RFS) DOCUMENT

FOR

**SOLAR PROJECT DEVELOPER(s) FOR SETTING UP TO 320 MW GRID
CONNECTED GROUND MOUNTED SOLAR PV POWER PROJECTS ON
BUILD-OWN-OPERATE BASIS AT JALAUN, UTTAR PRADESH ON
LAND AVAILABLE FOR 30 YEARS LEASE WITH UPNEDA.**

RFS No: 01 /UPNEDA /JALAUN SOLAR PROJECT/RFS /2024

Dated: 12.09.2024

Issued By:



**Uttar Pradesh New & Renewable Energy Development Agency (UPNEDA),
Deptt. of Additional Sources of Energy, Govt. of U.P. Vibhuti Khand, Gomti
Nagar, Lucknow, U.P. – 226010 Tel.No. 0522-2720652, Telefax: 0522-2720779,
2720829**

Website: www.upneda.org.in.

Email: compneda@rediffmail.com

SEPTEMBER 2024

DISCLAIMER

1. This Request for Selection (RFS) document is not an agreement or offer by the UPNEDA to the prospective Bidders or any other party. The purpose of this RFS is to provide interested parties with information to assist the formulation of their Bid. This RFS is based on material and information available in public domain.
2. This RFS, along with its Formats, is not transferable.
3. While this RFS has been prepared in good faith, neither UPNEDA nor its employees make any representation or warranty express or implied as to the accuracy, reliability or completeness of the information contained in this RFS .
4. Neither UPNEDA, nor its employees will have any liability to any Bidder or any other person under the law of contract, tort, the principles of restitution or unjust enrichment or otherwise for any loss, expense or damage which may arise from or be incurred or suffered in connection with anything contained in this RFS , any matter deemed to form part of this RFS , the award for supply of power, the information supplied by or on behalf of UPNEDA or its employees, any consultants or otherwise arising in any way from the selection process for the Solar Project Developer(s).
5. This RFS is not an agreement and is neither an offer nor invitation by UPNEDA to the prospective Bidders or any other person. The purpose of this RFS is to provide interested parties with information that may be useful to them in the formulation of their Offers pursuant to this RFS . This RFS may not be appropriate for all persons, and it is not possible for UPNEDA, its employees or advisers to consider the objectives, technical expertise and particular needs of each party who reads or uses this RFS . The assumptions, assessments, Statements and information contained in this RFS , may not be complete, accurate, adequate or correct. Each Bidder should, therefore, conduct its own investigations and analysis and should check the accuracy, adequacy, correctness, reliability and completeness of the assumptions, assessments and information contained in this RFS and obtain independent advice from appropriate sources.
6. UPNEDA also accepts no liability of any nature whether resulting from negligence or otherwise however caused arising from reliance of any Bidder upon the Statements contained in this RFS . UPNEDA may in its absolute discretion, but without being under any obligation to do so, update, amend or supplement the information, assessment or assumption contained in this RFS .
7. The Bidder shall bear all its costs associated with or relating to the preparation and submission of its Offer including but not limited to preparation, copying, postage, delivery fees, expenses associated with any demonstrations which may be required by UPNEDA,

or any other costs incurred in connection with or relating to its Offer. All such costs and expenses will remain with the Bidder and UPNEDA shall not be liable in any manner whatsoever for the same or for any other costs or other expenses incurred by a Bidder in preparation for submission of the Offer, regardless of the conduct or outcome of the Selection Process.

8. UPNEDA will have power to amend/ review/ interpret any of the provisions under this RFS and any other Rules/Regulations/Policy whichever applicable as and when required.

Place:Lucknow

Date: 12.09.2024

BID DATA SHEET

1	Name of the Work	Request for Selection(RFS) document for Solar Project Developer(s) for setting up to 320 MW Grid connected Ground Mounted Solar PV Power projects on Build-Own-Operate Basis at Jalaun, Uttar Pradesh on land available for 30 years lease with UPNEDA.
2	RFS No & Date	01 /UPNEDA /JALAUN SOLAR PROJECT/RFS / 2024 Dated 12.09.2024
3	Type of RFS/Tender	E-Tender
4	Document fee/ Cost of RFS document (non-refundable).	Amount: INR 25,000/+18%GST=INR 29500 (Indian Rupees Twenty-Nine Thousand Five Hundred Only) including GST to be submitted either through NEFT/ RTGS transfer in the account of UPNEDA , or in the form of DD/ Pay Order along with the response to RFS in favor of “ Director UPNEDA”, payable at “Lucknow”
5	Document processing Fee (non-refundable)	Rs. 2 Lakh +18% GST with each Bid to be submitted either through NEFT/RTGS transfer in the account of UPNEDA, or in the form of DD/Pay Order along with the response to RfS in favour of “Director, UPNEDA”, payable at “Lucknow”
6	Earnest Money Deposit	2 % of the cost of the estimated value to be submitted either through NEFT/RTGS transfer in the account of UPNEDA, or in the form of DD/ Pay Order along with the response to RfS in favor of “Director, UPNEDA”, payable at “Lucknow”
7	Land Lease Period	30 Years

8	Pre-Bid Meeting	Not Applicable
9	Last Date & Time of Online Submission & Offline submission for Originals of Tender Fee and EMD Documents	04.10.2024 up to 18:00 Hrs.
10	Techno-Commercial Bid Opening	05.10.2024 at 12:00 Hrs
11	Financial Bid Opening	To be Intimated later.
12	Name, Designation, Address and other details (For Submission of Response to RFS)	Director, Uttar Pradesh New & Renewable Energy Development Agency, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow Phone:-9415609007, Tele Fax: 0522-2720779, 0522-2720829, Email: compneda@rediffmail.com/ ho_nks@rediffmail.com Website: www.upneda.org.in
13	Details of persons to be contacted in case of any assistance required	Shri. Narendra Singh Senior Project Officer Uttar Pradesh New & Renewable Energy Development Agency, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow Phone:-9415609007, Telefax: 0522-2720779, 0522- 2720829, Email: ho_nks@rediffmail.com Website: www.upneda.org.in

1. INTRODUCTION AND PROJECT OVERVIEW

A. About UPNEDA

The Uttar Pradesh New and Renewable Energy Development Agency (UPNEDA) is committed to advancing the state's renewable energy infrastructure and achieving its sustainability goals. In alignment with this vision, UPNEDA is pleased to announce the invitation for RFS for the development of a 320 MW solar power plant by providing land on lease. This initiative is part of a broader strategy to enhance renewable energy capacity, reduce carbon emissions, and contribute to the nation's clean energy transition.

B. PROJECT OVERVIEW

The proposed solar power project is envisioned to be a state-of-the-art facility that shall harness solar energy to generate 320 Megawatts (MW) of Solar power. This project aims to significantly contribute to Uttar Pradesh's energy mix and bolster the state's renewable energy footprint. To facilitate the development of this solar power plant, UPNEDA will provide the necessary land on a lease basis. **The allotment of the land to the successful bidder for setting up of the solar plant shall be based on the price quoted for land lease per acre per year. The successful bidder will sign the land lease agreement with UPNEDA after allotment of land as per the evaluation criteria. Draft Land Lease agreement can be downloaded from** the official website of UPNEDA after the allotment of land. The Total Land available with UPNEDA for which this RFS is invited is **1292.46 Acres**. The Proposed Project capacity which is to be set up is 320 MW.

2. INSTRUCTIONS TO BIDDERS

The Bidder may download Instructions to bidders form the website official website of UPNEDA and <https://etender.up.nic.in/>.

3. ELIGIBILITY CRITERIA

A. Technical Eligibility Criteria

The Bidder must have successfully completed or substantially completed similar works during last seven years ending last day of month previous to the one in which applications are invited should be either of the following:

- I. Three similar completed works costing not less than the amount equal to 40(forty) percent of the estimated cost; or
- II. Two similar completed works costing not less than the amount equal to 50 (fifty) percent of the estimated cost; or
- III. One similar completed work costing not less than the amount equal to 80 (eighty) percent of the estimated cost.

Note:

- a. Similar works means setting up of grid connected ground mounted solar PV project on Build own and operate basis.
- b. For contracts under which the applicant participated as a joint venture member or sub-contractor, only the applicant's share, by value, shall be considered to meet this requirement. For arriving at cost of similar work, the value of work executed shall be brought to current costing level by enhancing the actual value of work at simple rate of seven percent per annum, calculated from the date of completion to the date of Bid opening.
- c. **Bidder to provide work order and completion certificates in lieu of technical eligibility criteria.**
- d. Estimated cost will be calculated by considering the quantity of land quoted by bidder, converting it to the MW Capacity (i.e by 4 Acre /MW) and the final cost will be derived based by further considering INR 4 Cr/MW.

B. Financial Eligibility Criteria:

- I. The Net-Worth (as per Companies Act 2013) of the Bidder or its Affiliate or Parent / Ultimate Parent as on date of financial year ending on 31.03.2024 as the case may be, shall not be less than INR 0.95 Crores (Rs.95,00,000/-) per MW of the capacity quoted. In case the Bidder is a newly formed company, supported by documentary evidence of its recent formation at ROC or in case the net worth of the Bidder is not meeting the require criteria on the dates mentioned above, the bidders can submit the Net-worth credentials based on latest available date and UPNEDA at its own discretion shall accept or reject the same subject to submission of CA Certified Net worth Certificate and meeting the technical eligible criteria.

- II. The Annual turnover of the bidder shall be minimum INR 2 Crores (Rs 2,00,000,00 /-) per MW in any last 07 Financial years. Bidders shall submit the Audited balance sheet for the respective years.

Note:

1. For the Eligibility Criteria INR 4 Cr (Rs 4,00,00,000 /-) per MW is considered for evaluation.
2. The Bidder may be a Company or Consortium and must be registered as per the companies act 1956 or 2013.

4. EVALUATION CRITERIA

A. Technical Evaluation Criteria (Envelope-1)

- i. Technical Bid evaluation will be carried out considering the information furnished by Bidders as per the eligibility criteria specified in clause no-2 of this RFS .

Note:

- a. During the examination of the bids, UPNEDA may seek clarifications/ additional documents to the documents submitted etc. from the Bidders if required to satisfy themselves for meeting the eligibility conditions by the Bidders. Bidders shall be required to respond to any clarifications/ additional documents sought by UPNEDA within 05 (Five) days from the date of such intimation from UPNEDA.

B. Financial Evaluation Criteria (Envelope-2)

- i. The Bidder will have to submit financial bid quoting Land Lease Price in **Rs / Acre/ Year** for the applied capacity. The Price in **Rs/ Acre/ Year** must be quoted in multiples of 100 only beyond the minimum limit specified in the RFS.
- ii. A maximum quantum of 1292.46 Acres can be quoted by the bidders.
- iii. Minimum value (Floor limit) of quoted Land Lease Price shall be INR 15000/ Acre / Year. Bidders quoting less than the Minimum value shall not be considered for financial bid evaluation.
- iv. If the Price quoted is same for two or more Bidders, then the Bidder with higher quoted capacity (in acres) shall be ranked higher, the Bidders with same Land lease charges and same quoted capacity shall be considered of equal rank/ standing in the order.

v. Ranking of bidders after Financial Bid Evaluation:

Following illustrates an example of ranking of bidders after financial bid opening and evaluation.

Bidder	Submitted Price (Rs/MW/Year)	Quoted Capacity (In Acres)	Ranking
B1	Rs 18000 /Acre /Year	1292	H1
B2	Rs 18000 /Acre /Year	750	H2
B3	Rs 16000 /Acre /Year	750	H3
B4	Rs 15000/ Acre/ Year	750	H4

In case of a tiebreaker, where two Bidders quote the same Park charges, the Bidder quoting a higher Quantum will be given a better ranking.

In case of tie between Land Lease charges and quantum of Land in acres, tie-breaking shall be done by considering the bidder having **higher technical expertise**.

5. PAYMENT TERMS

The Payment for the land lease charges to UPNEDA by the solar power project developer shall be made in advance on yearly basis with respect to the quoted charges for lease of land in RS /Acre/year.

6. FORMS & FORMATS

The Bidder may download Forms and Formats form the official website of UPNEDA and <https://etender.up.nic.in/>

7. ANNEXURES:

1. Details of the Site Location

S.No	District	Tehsil	Subdivision	Village	Area In Acres	Tentative Capacity (MW)
1	Jalaun	Kalpi	Kalpi	Pal	119.22	30 MW
2	Jalaun	Kalpi	Kalpi	Malthua	168.41	42 MW
3	Jalaun	Kalpi	Kalpi	Inguai	165.71	40 MW

4	Jalaun	Kalpi	Kalpi	Dahelkhand Mustikil	295.58	72 MW
5	Jalaun	Madhogarh	Madhogarh	Gopalpura	12.28	3 MW
6	Jalaun	Madhogarh	Madhogarh	Rampura	11.87	3 MW
7	Jalaun	Madhogarh	Madhogarh	Supa Nunaich	202.89	50 MW
8	Jalaun	Orai	Orai	Dadri	316.50	80 MW
Total Area Available and Tentative proposed Capacity					1292.46	320 MW

Note:

1. The Above Capacities mentioned are purely tentative and based on simple calculations (i.e Based on tentative area requirement in Acres/MW). The Bidder/Developer needs to access the exact capacity by according to their own design and engineering.
2. Power Evacuation: The Developer has to arrange at its own for the Power evacuation from the Proposed 320 MW Solar power project.
3. Land Details: Enclosed with the Bid Document.

Note: UPNEDA will have power to amend/ review/ interpret any of the provisions under this RFS and any other Rules/Regulations/Policy whichever applicable as and when required.

COVERING LETTER

(To be Submitted on the Letter head of the Bidder)

To,
Director,
Uttar Pradesh Renewable Energy Development Agency
Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow, Uttar Pradesh-226010

Subject: Bid for Setting up of Grid Connected Ground Mounted Solar PV projects on Build Own and Operate Basis.

I/We..... Bid for ----- Acres of Land in ----- Location for Setting up of setting up to ----MW grid connected Ground Mounted solar pv power projects on build-own-operate basis at Jalaun, Uttar Pradesh on land available for 30 years lease with UPNEDA. We have Furnished our Price Bid in the Financial Bid Format.

Name of the Authorized Person

Designation of the Authorized Person

Seal & Signature of the Authorized Person

(Note: Bidder to Provide the Power of Attorney in the name of Authorized Person)

कार्यालय जिलाधिकारी जालौन।

आदेश

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2000 (उ०प्र० अधिनियम सं० ०८ सन् 2012) की धारा 50 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली 2010 के नियम 55 द्वारा प्राप्त तथा शासकीय अधिग्रहण संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 03 जून 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारी का उपयोग करते हुए, भूमि प्रबन्धक रागिति पाल तहसील कालपी के प्रस्ताव दिनांक 18.12.2023 पर उपजिलाधिकारी कालपी की संस्तुति दिनांक 31.01.2024 के आधार पर, मैं राजेश कुमार पाण्डेय, जिलाधिकारी जालौन, संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो अब तक उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित गौय सभाओ/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित थी, स्तम्भ 10 में दिये गये प्रयोजन हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

-अनुसूची-

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाँवसभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे०में)	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण / प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जालौन	कालपी	कालपी	पाल	पाल	48	0.097	5-1/नवीन परती	सौर ऊर्जा परियोजना के विकास हेतु अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उत्तर प्रदेश के पक्ष में 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर।
						355	0.097	5-1/नवीन परती	
						357/1	0.203	5-1/नवीन परती	
						522/2	0.405	5-1/नवीन परती	
						610/2	0.121	5-1/नवीन परती	
						542/3	0.178	5-2/पुरानी परती	
						9/4	1.550	5-3-ड./बंजर	
						19/2	0.146	5-3-ड./बंजर	
						20/2	0.121	5-3-ड./बंजर	
						359/2	0.069	5-3-ड./बंजर	
						500/3	1.214	5-3-ड./बंजर	
						554/3	0.174	5-3-ड./बंजर	
						560/3	0.283	5-3-ड./बंजर	
						11/4	0.174	6-4/बेहड़	
						17/4	0.105	6-4/बेहड़	
						23/4	5.255	6-4/बेहड़	
						28	0.376	6-4/बेहड़	
						34/4	0.202	6-4/बेहड़	
						60	0.364	6-4/बेहड़	
						61/3	0.142	6-4/बेहड़	
						62	0.638	6-4/बेहड़	
						65	0.316	6-4/बेहड़	
						66	0.397	6-4/बेहड़	
						114/4	0.686	6-4/बेहड़	
						473/2	0.180	6-4/बेहड़	
						481/2	0.243	6-4/बेहड़	
						482/2	0.166	6-4/बेहड़	
						485/3	0.142	6-4/बेहड़	
						487	0.061	6-4/बेहड़	
						494	1.279	6-4/बेहड़	
						503	1.010	6-4/बेहड़	
						508/2	0.490	6-4/बेहड़	
						509/2	0.227	6-4/बेहड़	
						581/8	2.634	6-4/बेहड़	

					599/2	0.178	6-4/वेहड
					602/4	0.101	6-4/वेहड
					604/9	3.517	6-4/वेहड
					627/5	0.206	6-4/वेहड
					631/3	0.223	6-4/वेहड
					633/5	5.070	6-4/वेहड
					634/3	13.351	6-4/वेहड
					637/2	0.429	6-4/वेहड
					647/5	0.499	6-4/वेहड
					671/2	1.287	6-4/वेहड
					672/2	0.789	6-4/वेहड
					676/3	0.380	6-4/वेहड
					680	0.454	6-4/वेहड
					683/4	0.705	6-4/वेहड
					691/2	0.615	6-4/वेहड
					698/2	0.198	6-4/वेहड
					700/2	0.490	6-4/वेहड
					51 किता	48.267	

जनपद जालौन में लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीनेडा एवं सोलर इनर्जी कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के संयुक्त उपक्रम) को सौर ऊर्जा परियोजना के विकास हेतु निदेशक यूपीनेडा के पत्र संख्या 4540/नेडा-एसई-सोलर पार्क/01/232/71/2014-15 दिनांक 24.11.2023 में किये गये अनुरोध पर ग्राम पाल तहसील कालपी में उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन) संख्या-5/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023-रा0-1 दिनांक 15.03.2023 एवं शासनादेश संख्या-1050/87-अतिरिक्त/वि0/2023 दिनांक 03 अगस्त 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ0प्र0 को 01 रुपये प्रति एकड़ की दर से कुल 119.22 एकड़ हेतु सांकेतिक मूल्य रुपये 119.00 (रुपये एक सौ उन्नीस मात्र) वार्षिक किराया जमा करने पर पुनर्गृहीत भूमि राजस्व अभिलेखों में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ0प्र0 के नाम 30 वर्षों हेतु पट्टे पर उपलब्ध होगी। गृहीत विभाग द्वारा वार्षिक किराया प्रतिवर्ष, 30 वर्षों तक जमा करना होगा। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक "0029 - भूराजस्व- 800 -अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ" में जमा की जायेगी। यह कि आवंटित की गयी भूमि का उपयोग दिये गये प्रयोजन से भिन्न होने पर भूमि अनिवार्य रूप से वापिस ले ली जायेगी।

(राजेश कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी जालौन।0C

पत्रांक 530 /आठ-डी0एल0आर0सी0

दिनांक: 14.02.2024

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2 निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 3 उपजिलाधिकारी कालपी।
- 4 तहसीलदार कालपी को इस आशय से प्रेषित कि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ0प्र0 द्वारा सांकेतिक मूल्य/वार्षिक किराया, रुपये 119.00 (रुपये एक सौ उन्नीस मात्र) जमा करने पर 30 वर्षीय पट्टे पर राजस्व अभिलेखों में अंकित की जायेगी। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक "0029 - भूराजस्व- 800 -अन्य प्राप्तियाँ-08 -मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ" में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति प्रस्तुत करने पर ही उक्त आदेश का अंकन राजस्व अभिलेखों में करके भूमि का कब्जा प्रदान किया जाय। उद्धरण खतौनी की एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेखार्थ उपलब्ध कराये तथा सम्बन्धित विभाग को भी अवगत कराये।
- 5 परियोजना अधिकारी यूपीनेडा उरई को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि वार्षिक किराया रुपये 119.00 (रुपये एक सौ उन्नीस मात्र) को उपरिवर्णित लेखाशीर्षक में जमा कराये तथा रसीद की एक प्रति तहसीलदार कालपी को एवं छायाप्रति भूलेख कार्यालय को भी उपलब्ध कराये।
- 6 अध्यक्ष, भूमि प्रबन्धक समिति पाल तहसील कालपी जनपद जालौन।

(राजेश कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी जालौन।0C

कार्यालय जिलाधिकारी जालौन।

आदेश

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 08 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 03 जून 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुये, भूमि प्रबन्धक समिति मल्थुवा तहसील कालपी के प्रस्ताव दिनांक 15.01.2024 पर उपजिलाधिकारी कालपी की संस्तुति दिनांक 08.02.2024 के आधार पर, मैं राजेश कुमार पाण्डेय, जिलाधिकारी जालौन, संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो अब तक उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित गाँव समाओं / स्थानीय प्राधिकारियों में निहित थी, स्तम्भ 10 में दिये गये प्रयोजन हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

-अनुसूची-

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाँवसमा. / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफ ल (हे0में)	भूमि की प्रकृति	श्रेणी/ परती	विवरण/प्रयो जन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	जालौन	कालपी	कालपी	मल्थुवा	मल्थुवा	17/2	0.085	5-1/नवीन	परती	सौर ऊर्जा परियोजना के विकास हेतु अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उत्तर प्रदेश के पक्ष में 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर।
						204	0.049	5-1/नवीन	परती	
						315/3	0.101	5-1/नवीन	परती	
						316/2	0.458	5-1/नवीन	परती	
						317	0.105	5-1/नवीन	परती	
						849/2	0.004	5-1/नवीन	परती	
						853	0.117	5-1/नवीन	परती	
						884/4	0.061	5-1/नवीन	परती	
						885/5	0.032	5-1/नवीन	परती	
						1106/2	0.040	5-1/नवीन	परती	
						1128	0.065	5-1/नवीन	परती	
						1140/2	0.061	5-1/नवीन	परती	
						1153/2	0.040	5-1/नवीन	परती	
						1155/2	0.040	5-1/नवीन	परती	
						1158/2	0.121	5-1/नवीन	परती	
						1161/2	0.146	5-1/नवीन	परती	
						1169	0.073	5-1/नवीन	परती	
						1170/3	0.097	5-1/नवीन	परती	
						1173	0.057	5-1/नवीन	परती	
						1174	0.077	5-1/नवीन	परती	
						1185	0.117	5-1/नवीन	परती	
						1268/2	0.081	5-1/नवीन	परती	
						953/2	0.012	5-1/नवीन	परती	
						1084/2	0.744	5-1/नवीन	परती	
						33/3	0.162	5-1/नवीन	परती	
						167	0.073	5-1/नवीन	परती	
						1058	0.142	5-1/नवीन	परती	
						1126	0.227	5-1/नवीन	परती	
						1148	0.202	5-1/नवीन	परती	
						1149	0.024	5-1/नवीन	परती	
						1151/1	0.125	5-1/नवीन	परती	
						1085/1	0.200	5-1/नवीन	परती	
						1085	0.055	5-1/नवीन	परती	
						169/4	0.081	5-1/नवीन	परती	

२०

					33/4	0.016	5-2/परती	कदीम
					190/4	0.247	5-2/परती	कदीम
					228/2	0.089	5-2/परती	कदीम
					323/1	0.045	5-2/परती	कदीम
					/2			
					336/1	0.040	5-2/परती	कदीम
					338	0.344	5-2/परती	कदीम
					356	0.040	5-2/परती	कदीम
					1101	0.300	5-2/परती	कदीम
					1133	0.849	5-2/परती	कदीम
					1138/2	0.405	5-2/परती	कदीम
					1159/2	0.101	5-2/परती	कदीम
					1165/2	0.324	5-2/परती	कदीम
					1269/2	0.247	5-2/परती	कदीम
					1111/2	0.040	5-2/परती	कदीम
					364/4	0.223	5-2/परती	कदीम
					334/1	0.093	5-2/परती	कदीम
					340	0.356	5-2/परती	कदीम
					350	0.340	5-2/परती	कदीम
					30	0.061	6-4/बेहड	
					302	0.874	6-4/बेहड	
					335	1.072	6-4/बेहड	
					341	1.602	6-4/बेहड	
					1189	1.858	6-4/बेहड	
					1057/2	0.065	6-4/बेहड	
					1095	0.600	6-4/बेहड	
					1095/2	0.056	6-4/बेहड	
					1120	0.312	6-4/बेहड	
					1129	1.032	6-4/बेहड	
					1130	0.672	6-4/बेहड	
					1171	0.012	6-4/बेहड	
					1134	4.565	6-4/बेहड	
					1136	2.306	6-4/बेहड	
					1137	4.565	6-4/बेहड	
					1139	0.486	6-4/बेहड	
					1145	0.101	6-4/बेहड	
					1146	0.036	6-4/बेहड	
					1147	2.225	6-4/बेहड	
					1154	2.655	6-4/बेहड	
					1157	1.056	6-4/बेहड	
					1160	3.444	6-4/बेहड	
					1164	0.445	6-4/बेहड	
					1166	0.063	6-4/बेहड	
					1167	4.249	6-4/बेहड	
					1168	2.205	6-4/बेहड	
					1175	1.087	6-4/बेहड	
					1178	0.202	6-4/बेहड	
					1180	0.117	6-4/बेहड	
					1182	1.882	6-4/बेहड	
					1183	2.323	6-4/बेहड	
					1184	1.100	6-4/बेहड	
					1194	0.364	6-4/बेहड	
					1196	1.295	6-4/बेहड	

						1198	0.259	6-4 / बेहड
						1200 / 3	0.166	6-4 / बेहड
						1201	4.026	6-4 / बेहड
						1202	1.072	6-4 / बेहड
						1204	1.279	6-4 / बेहड
						1205	3.359	6-4 / बेहड
						1212	0.328	6-4 / बेहड
						1141 / 1	0.652	6-4 / बेहड
						1142	0.328	6-4 / बेहड
						1086	1.514	6-4 / बेहड
						1162	0.789	6-4 / बेहड
						1144	0.607	6-4 / बेहड
						339	0.664	6-4 / बेहड
						99 किता	68.183	

जनपद जालौन में लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीनेडा एवं सोलर इनर्जी कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के संयुक्त उपक्रम) को सौर ऊर्जा परियोजना के विकास हेतु निदेशक यूपीनेडा के पत्र संख्या 4540/नेडा-एसई-सोलर पार्क/01/232/71/2014-15 दिनांक 24.11.2023 में किये गये अनुरोध पर ग्राम मल्थुवा तहसील कालपी में उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन) संख्या-5/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023-रा0-1 दिनांक 15.03.2023 एवं शासनादेश संख्या-1050/87-अति0ऊ0खो0वि0/2023 दिनांक 03 अगस्त 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ0प्र0 को 01 रुपये प्रति एकड़ की दर से कुल 168.41 एकड़ हेतु सांकेतिक मूल्य रुपये 168.00 (रुपये एक सौ अड़सठ मात्र) वार्षिक किराया जमा करने पर पुनर्ग्रहीत भूमि राजस्व अभिलेखों में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ0प्र0 के नाम 30 वर्षों हेतु पट्टे पर उपलब्ध होगी। गृहीता विभाग द्वारा वार्षिक किराया प्रतिवर्ष, 30 वर्षों तक जमा करना होगा। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक "0029 - भूराजस्व- 800 -अन्य प्राप्ति-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्ति" में जमा की जायेगी। यह कि आवंटित की गयी भूमि का उपयोग दिये गये प्रयोजन से भिन्न होने पर भूमि अनिवार्य रूप से वापिस ले ली जायेगी।

(राजेश कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी जालौन।

पत्रांक 545 /आठ-डी0एल0आर0सी0

दिनांक: 24.02.2024

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2 निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 3 उपजिलाधिकारी कालपी।
- 4 तहसीलदार कालपी को इस आशय से प्रेषित कि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ0प्र0 द्वारा सांकेतिक मूल्य/वार्षिक किराया, रुपये 168.00 (रुपये एक सौ अड़सठ मात्र) जमा करने पर 30 वर्षीय पट्टे पर राजस्व अभिलेखों में अंकित की जायेगी। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक "0029 - भूराजस्व- 800 -अन्य प्राप्ति-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्ति" में जमा कर ट्रेजरी खालान की प्रति प्रस्तुत करने पर ही उक्त आदेश का अंकन राजस्व अभिलेखों में करके भूमि का कब्जा प्रदान किया जाय। उद्धरण खतौनी की एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेखार्थ उपलब्ध कराये तथा सम्बन्धित विभाग को भी अवगत कराये।
- 5 परियोजना अधिकारी यूपीनेडा उरई को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि वार्षिक किराया रुपये 168.00 (रुपये एक सौ अड़सठ मात्र) को उपरिवर्णित लेखाशीर्षक में जमा कराये तथा रसीद की एक प्रति तहसीलदार कालपी को एवं छायाप्रति भूलेख कार्यालय को भी उपलब्ध कराये।
- 6 अध्यक्ष, भूमि प्रबन्धक समिति मल्थुवा तहसील कालपी जनपद जालौन।

(राजेश कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी जालौन।

(38)

						130/2	0.360	8-4/वेहड	
						22/11	3.217	8-4/वेहड	
						35 किता	67.090		

जनपद जालौन में लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीनेडा एवं सोलर इनर्जी कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के संयुक्त उपक्रम) को सौर ऊर्जा परियोजना के विकास हेतु निदेशक यूपीनेडा के पत्र संख्या 4540/नेडा-एराई-सोलर पार्क/01/232/71/2014-15 दिनांक 24.11.2023 में किये गये अनुरोध पर ग्राम हुगुई तहसील कालपी में उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन) संख्या-5/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023-रा0-1 दिनांक 15.03.2023 एवं शासनादेश संख्या-1050/87-अति0ऊ0ख0वि0/2023 दिनांक 03 अगस्त 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ0प्र0 को 01 रुपये प्रति एकड़ की दर से कुल 165.71 एकड़ हेतु सांकेतिक मूल्य रुपये 166.00 (रुपये एक सौ छियासठ मात्र) वार्षिक किराया जमा करने पर पुनर्ग्रहीत भूमि राजस्व अभिलेखों में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ0प्र0 के नान 30 वर्षों हेतु पट्टे पर उपलब्ध होगी। गृहीता विभाग द्वारा वार्षिक किराया प्रतिवर्ष, 30 वर्षों तक जमा करना होगा। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक "0029 = भूराजस्व= 800 -अन्य प्राप्तियाँ=08=मालिकाना राजस्व=0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ" में जमा की जायेगी। यह कि आवंटित की गयी भूमि का उपयोग दिये गये प्रयोजन से भिन्न होने पर भूमि अनिवार्य रूप से वापिस ले ली जायेगी।

(राजेश कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी जालौन।०८

पत्रांक 529 /आठ-डी0एल0आर0सी0

दिनांक: 14.02.2024

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2 निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 3 उपजिलाधिकारी कालपी।
- 4 तहसीलदार कालपी को इस आशय से प्रेषित कि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ0प्र0 द्वारा सांकेतिक मूल्य/वार्षिक किराया, रुपये 166.00 (रुपये एक सौ छियासठ मात्र) जमा करने पर 30 वर्षीय पट्टे पर राजस्व अभिलेखों में अंकित की जायेगी। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक "0029 - भूराजस्व- 800 -अन्य प्राप्तियाँ-08 -मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ " में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति प्रस्तुत करने पर ही उक्त आदेश का अंकन राजस्व अभिलेखों में करके भूमि का कब्जा प्रदान किया जाय। उद्धरण खतौनी की एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेखार्थ उपलब्ध कराये तथा सम्बन्धित विभाग को भी अवगत कराये।
- 5 परियोजना अधिकारी यूपीनेडा उरई को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि वार्षिक किराया रुपये 166.00 (रुपये एक सौ छियासठ मात्र) को उपरिवर्णित लेखाशीर्षक में जमा कराये तथा रसीद की एक प्रति तहसीलदार कालपी को एवं छायाप्रति भूलेख कार्यालय को भी उपलब्ध कराये।
- 6 अध्यक्ष, भूमि प्रबन्धक समिति सरैनी मुस्तकिल तहसील कालपी जनपद जालौन।

(राजेश कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी जालौन। 0८

(65)

कार्यालय जिलाधिकारी जालौन।

आदेश

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 08 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 03 जून 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुये, भूमि प्रबन्धक समिति दहेलखण्ड मुस्तकिल तहसील कालपी के प्रस्ताव दिनांक 11.01.2024 पर उपजिलाधिकारी कालपी की संस्तुति दिनांक 31.01.2024 के आधार पर, मैं राजेश कुमार पाण्डेय, जिलाधिकारी जालौन, संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो अब तक उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ 8 में उल्लिखित गाँव समाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित थी, स्तम्भ 10 में दिये गये प्रयोजन हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

-अनुसूची-

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाँवसभा/स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जालौन	कालपी	कालपी	दहेलखण्ड मुस्तकिल	दहेलखण्ड मुस्तकिल	3/2	0.202	5-2/परती कदीम	सौर ऊर्जा परियोजना के विकास हेतु अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उत्तर प्रदेश के पक्ष में 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर।
						13/1	0.117	5-3-उ./बंजर	
						420	0.101	5-3-उ./बंजर	
						597/2	0.251	5-3-उ./बंजर	
						599	0.093	5-3-उ./बंजर	
						603	0.186	5-3-उ./बंजर	
						608	0.158	5-3-उ./बंजर	
						601	0.166	5-3-उ./बंजर	
						598	0.154	5-3-उ./बंजर	
						834	0.077	5-3-उ./बंजर	
						842	0.065	5-3-उ./बंजर	
						851	0.016	5-3-उ./बंजर	
						854/1	0.032	5-3-उ./बंजर	
						874/1	0.320	5-3-उ./बंजर	
						3	1.237	6-4/बेहड़	
						4	2.159	6-4/बेहड़	
						5	1.399	6-4/बेहड़	
						6/3	1.214	6-4/बेहड़	
						8	0.065	6-4/बेहड़	
						9/3	0.655	6-4/बेहड़	
						11	0.181	6-4/बेहड़	
						12/1	0.607	6-4/बेहड़	
						418/2	1.639	6-4/बेहड़	
						574/1	17.297	6-4/बेहड़	
						575	4.931	6-4/बेहड़	
						576	1.518	6-4/बेहड़	
						577	6.232	6-4/बेहड़	
						578/4	2.240	6-4/बेहड़	
						580/2	5.078	6-4/बेहड़	
						582	1.585	6-4/बेहड़	

[Signature]

617

						583/3	2.808	0-4/बेहड़	
						584/3	18.514	0-4/बेहड़	
						585/3	10.541	0-4/बेहड़	
						586/2	0.888	0-4/बेहड़	
						587/3	0.309	0-4/बेहड़	
						590/1	1.955	0-4/बेहड़	
						591/2	0.485	0-4/बेहड़	
						592/3	1.322	0-4/बेहड़	
						606	0.587	0-4/बेहड़	
						607	1.851	0-4/बेहड़	
						614	0.227	0-4/बेहड़	
						641	0.433	0-4/बेहड़	
						645	0.806	0-4/बेहड़	
						646	0.684	0-4/बेहड़	
						651/2	1.578	0-4/बेहड़	
						652/2	0.390	0-4/बेहड़	
						653/1	0.271	0-4/बेहड़	
						663	0.709	0-4/बेहड़	
						674/2	3.811	0-4/बेहड़	
						676/2	10.076	0-4/बेहड़	
						677	14.000	0-4/बेहड़	
						61 किलो	119.		
							66660		

जन्मद जालीन में लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (यू.के.नेडा एवं सोलर इनर्जी कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के संयुक्त उपक्रम) को सौर ऊर्जा परियोजना के विकास हेतु निदेशक यूपीनेडा के पत्र संख्या 4540/नेडा-एसई-सोलर पार्क/01/232/71/2014-15 दिनांक 24.11.2023 में किये गये अनुरोध पर प्राप्त दहेलखण्ड मुस्ताकिल तहसील कालपी में उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संश्लेषण) संख्या-5/2023/प्र0प्र0-53/एक-1-2023-र10-1 दिनांक 15.03.2023 एवं शासनादेश संख्या-1050/87-अति0ऊ0सो0शि0/2023 दिनांक 03 अगस्त 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ0प्र0 को 01 रुपये प्रति एकड़ की दर से कुल 295.58 एकड़ हेतु सांकेतिक मूल्य रुपये 298.00 (रुपये दो सौ छियानवे मात्र) वार्षिक किराया जमा करने पर पुनर्गृहीत भूमि राजस्व अभिलेखों में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ0प्र0 के नाम 30 वर्षों हेतु पट्टे पर उपलब्ध होगी। गृहीता विभाग द्वारा वार्षिक किराया प्रतिवर्ष, 30 वर्षों तक जमा करना होगा। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक "0029 - भूराजस्व- 800 -अन्य प्राप्ति-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्ति" में जमा की जायेगी। यह कि आवंटित की गयी भूमि का उपयोग दिये गये प्रयोजन से भिन्न होने पर भूमि अनिवार्य रूप से वापिस ले ली जायेगी।

(राजेश कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी जालीन।00

पत्रांक 528 /आ0-डी0एल0आ0सी0

दिनांक 13-02-2024

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2 निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विनूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 3 उपजिलाधिकारी कालपी।
- 4 तहसीलदार कालपी को इस आशय से प्रेषित कि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ0प्र0 द्वारा सांकेतिक मूल्य/वार्षिक किराया, रुपये 298.00 (रुपये दो सौ छियानवे मात्र) जमा करने पर 30 वर्षीय पट्टे पर राजस्व अभिलेखों में अंकित की जायेगी। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक "0029 - भूराजस्व- 800 -अन्य प्राप्ति-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्ति" में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति प्रस्तुत करने पर ही उक्त आदेश का अंकन राजस्व अभिलेखों में करके भूमि का कब्जा प्रदान किया जाय। उद्धारण खलीन की एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेखार्थ उपलब्ध करायें तथा सम्बन्धित विभाग को भी अवगत करायें।

(63)

5. परियोजना अधिकारी सूचीनेका उपर्युक्त को दृष्टान्त एव इत आशय से प्रेषित कि वार्षिक किराया रुपये 298.00 (रुपये दो सौ पचास मात्र) को उपरिचिन्तित सेवार्थीरूप में जमा कराये तथा रसीद की एक प्रति तहसीलदार कालपी को एव छायाप्रति भूसेख्य कार्यालय को भी भ्रषलक्ष्य कराये।
6. अध्यक्ष, भूमि प्रबन्धक समिति महसखण्ड गुरतकिल तहसील कालपी जनपद जालीन।

(राजेरा कुमार पाण्डेय)
जिम्मेदार जालीन। 10C

कार्यालय जिलाधिकारी जालौन।

आदेश

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2000 (उपरोक्त अधिनियम 198 का संशोधन 2017) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उपरोक्त राजस्व संहिता नियमावली 2010 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिनियम संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1 संख्यक दिनांक 03 जून 2016 द्वारा प्रतिगठित अधिकारों का उपयोग करते हुये, भूमि प्रबन्धक समिति गोपालपुरा तहसील माधौगढ़ को प्रस्ताव दिनांक 15.03.2024 पर उपजिलाधिकारी माधौगढ़ की संस्तुति दिनांक 20.03.2024 के आधार पर, गी राजेश गुप्ता पर पाण्डेय, जिलाधिकारी जालौन, संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो अब तक उपरोक्त अनुसूची को संख्या 8 में उल्लिखित गैर वसतियों /स्थानीय प्राधिकारियों में निहित थी, संख्या 10 में दिये गये प्रयोजन हेतु फिर से अपने अधिग्रहण में लेता हूँ।

-अनुसूची-

क्र. सं.	जिला	तहसील	परगना	गाँव	शेखरगा / स्थानीय प्राधिकारी	गांवा संख्या	क्षेत्रफल (हे०गे०)	भूमि की प्रकृति	विवरण/प्रयोजन जिराके लिए भूमि पुनर्गठित की जा रही है।
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	गोपालपुरा	गोपालपुरा	2674	0.009	5-1/नवीन परती	सौर ऊर्जा परियोजना के विकास हेतु अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उत्तर प्रदेश के पक्ष में 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर।
						2689ड	0.170	5-1/नवीन परती	
						2364ग	1.125	6-4/बेहट	
						2602	0.069	6-4/बेहट	
						2630घ	2.778	6-4/बेहट	
						2633मि	0.175	6-4/बेहट	
						2638ख	0.202	6-4/बेहट	
						2682	0.200	6-4/बेहट	
						2684	0.020	6-4/बेहट	
						2690	0.162	6-4/बेहट	
						10 किंता	4.970		

जनपद जालौन में नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, नई दिल्ली को सौर पावर परियोजना की स्थापना हेतु निदेशक यूपीनेडा के पत्र संख्या 6177/यूपीनेडा-एसई/ओपेन एक्सेस/2023 उ.प्र. नवीन एवं नदीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ दिनांक 28.02.2024 में किये गये अनुरोध पर ग्राम गोपालपुरा तहसील माधौगढ़ में उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय द्वाप(संशोधन) संख्या-5/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023-रा10-1 दिनांक 15.03.2023 एवं शासनादेश संख्या-1050/87-अति030चौ0कि/2023 दिनांक 03 अगस्त 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उपरोक्त को 01 रुपये प्रति एकड़ की दर से कुल 12.28 एकड़ हेतु सांकेतिक मूल्य रुपये 12.00 (रुपये बारह मात्र) वार्षिक किराया जमा करने पर पुनर्गठित भूमि राजस्व अभिलेखों में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उपरोक्त के नाम 30 वर्ष हेतु पट्टे पर उपलब्ध होगी। गृहीता विभाग द्वारा वार्षिक किराया प्रतिवर्ष, 30 वर्षों तक जमा करना होगा। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक "0029 = भूराजस्व= 800 = अन्त प्रक्रिया=08=मासिकाना राजस्व=0806=प्रकीर्ण प्राप्ति" में जमा की जायेगी। यह कि आवंटित की गयी भूमि का उपयोग दिये गये प्रयोजन से भिन्न होने पर भूमि अनिवार्य रूप से वापिस ले ली जायेगी।

(राजेश कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी जालौन।

पत्रांक 566-A/आव-वी0एल0आवसी0

दिनांक: 22.03.2024

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उपरोक्त शासन संखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2 निदेशक, उपरोक्त नवीन एवं नदीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

- 3 उपजिलाधिकारी माधौगढ़।
- 4 तहसीलदार माधौगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि अतिरिक्त ऊर्जा खेत विभाग उ०प्र० द्वारा सांकेतिक मूल्य/वार्षिक किराया, रूपये 12.00 (रूपये बारह मात्र) जमा करने पर 30 वर्षीय पट्टे पर राजस्व अभिलेखों में अंकित की जायेगी। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक "0029 - भूराजस्व- 800 -अन्य प्राप्ति-08 -मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्ति" में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति प्रस्तुत करने पर ही उक्त आदेश का अंकन राजस्व अभिलेखों में करके भूमि का कब्जा प्रदान किया जाय। उद्घरण खतोनी की एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेखार्थ उपलब्ध कराये तथा सम्बन्धित विभाग को भी अवगत कराये।
- 5 परियोजना अधिकारी यूपीनेडा उरई को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि वार्षिक किराया रूपये 12.00 (रूपये बारह मात्र) को उपरिबर्णित लेखाशीर्षक में जमा कराये तथा रसीद की एक प्रति तहसीलदार माधौगढ़ को एवं छायाप्रति भूलेख कार्यालय को भी उपलब्ध कराये।
- 6 अध्यक्ष, भूमि प्रबन्धक समिति गोपालपुरा तहसील माधौगढ़ जनपद जालौन।

(राजेश कुमार माण्ड्य)
जिलाधिकारी जालौन।

कार्यालय जिलाधिकारी जालौन।

आदेश

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 08 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 03 जून 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुये, भूमि प्रबन्धक समिति रामपुरा माधौगढ़ तहसील माधौगढ़ के प्रस्ताव दिनांक 15.03.2024 पर उपजिलाधिकारी माधौगढ़ की संस्तुति दिनांक 20.03.2024 के आधार पर, मैं राजेश कुमार पाण्डेय, जिलाधिकारी जालौन, संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो अब तक उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित गाँव समाओं /स्थानीय प्राधिकारियों में निहित थी, स्तम्भ 10 में दिये गये प्रयोजन हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

-अनुसूची-

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाँवसभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे०मे)	भूमि श्रेणी/ प्रकृति	की	दिवरण/प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	रामपुरा माधौगढ़	रामपुरा माधौगढ़	20अ/59	4.804	6-4/बेहड़		सौर ऊर्जा के परियोजना विकास हेतु अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उत्तर प्रदेश के प्लान में 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर।

जनपद जालौन में नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, नई दिल्ली को सौर पावर परियोजना की स्थापना हेतु, निदेशक यूपीनेडा के पत्र संख्या 6177/यूपीनेडा-एसई/ओपेन एक्सेस/2023 उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूतिखण्ड, गोगतीनगर, लखनऊ दिनांक 28.02.2024 में किये गये अनुरोध पर ग्राम रामपुरा माधौगढ़ तहसील माधौगढ़ में उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय झांप(संशोधन) संख्या-5/2023/प्र०स०-53/एक-1-2023-रा०-1 दिनांक 15.03.2023 एवं शासनादेश संख्या-1050/87-अति०ऊ०स्रो०वि०/2023 दिनांक 03 अगस्त 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ०प्र० को 01 रुपये प्रति एकड़ की दर से कुल 11.87 एकड़ हेतु सांकेतिक मूल्य रुपये 12.00 (रुपये बारह मात्र) वार्षिक किराया जमा करने पर पुनर्ग्रहीत भूमि राजस्व अभिलेखों में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ०प्र० के नाम 30 वर्षों हेतु पट्टे पर उपलब्ध होगी। गृहीता विभाग द्वारा वार्षिक किराया प्रतिवर्ष, 30 वर्षों तक जमा करना होगा। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक "0029 - भूराजस्व- 800 -अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ" में जमा की जायेगी। यह कि आवंटित की गयी भूमि का उपयोग दिये गये प्रयोजन से भिन्न होने पर भूमि अनिवार्य रूप से वापिस ले ली जायेगी।

(राजेश कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी जालौन।०८

पत्रांक 566-C/आठ-डी०एल०आर०सी०

दिनांक: 22.03.2024

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2 निदेशक, उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूतिखण्ड, गोगतीनगर, लखनऊ।
- 3 उपजिलाधिकारी माधौगढ़।
- 4 तहसीलदार माधौगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ०प्र० द्वारा सांकेतिक मूल्य/वार्षिक किराया, रुपये 12.00 (रुपये बारह मात्र) जमा करने पर 30 वर्षीय पट्टे पर राजस्व अभिलेखों में

पत्रांक 566-B/आठ-बीएसओ-आठसील

दिनांक 22.03.2024

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूरनाथ एवं आशयक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, एओए शासन लखनऊ को आशयक कार्यवाही हेतु।
- 2 निदेशक, एओए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूतिवृष्ट, गोपनीनगर, लखनऊ।
- 3 उपजिलाधिकारी माधौगढ़।
- 4 तहसीलदार माधौगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग एओए द्वारा सांकेतिक सूच्य/वार्षिक विवरण, रुपये 203.00 (रुपये दो सौ तीन मात्र) जमा करने पर 30 वर्षीय पट्टे पर राजस्व अभिलेखों में अंकित की जायेगी। उपरोक्त घनराशि लेखाशीर्षक "0029 - राजस्व- 800 -अन्य प्राप्तिवर्ग-08 -मालिकाना राजस्व-0800-मूकशीर्ष प्राप्तिवर्ग " में जमा कर ड्रेजरी चालान की प्रति प्रस्तुत करने पर ही उक्त आदेश का अंकन राजस्व अभिलेखों में करके मूद्रि का कब्जा प्रदान किया जाय। उद्देश्य खतीनी की एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेखार्थ उपलब्ध कराये तथा सम्बन्धित विभाग को भी अवगत कराये।
- 5 परियोजना अधिकारी सूरनाथ उरई को सूचनाथ एवं इस आशय से प्रेषित कि वार्षिक विवरण रुपये 203.00 (रुपये दो सौ तीन मात्र) को उपरोक्त लेखाशीर्षक में जमा करायें तथा रसीद की एक प्रति तहसीलदार माधौगढ़ को एवं छायाप्रति मुंडाख कार्यालय को भी उपलब्ध कराये।
- 6 अध्यक्ष, मूद्रि प्रपचक समिति पूसा मुगाइया तहसील माधौगढ़ जनपद जालौन।

(राजेश कुमार चौधरी)
जिल्लाधिकारी जालौन। 0C

कार्यालय जिलाधिकारी जालौन।

आदेश

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 08 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 03 जून 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुये, भूमि प्रबन्धक समिति ददरी तहसील उरई के प्रस्ताव दिनांक 23.02.2024 पर उपजिलाधिकारी उरई की संस्तुति दिनांक 01.03.2024 के आधार पर, मैं राजेश कुमार पाण्डेय, जिलाधिकारी जालौन, संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो अब तक उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित गाँव समाजों /स्थानीय प्राधिकारियों में निहित थी, स्तम्भ 10 में दिये गये प्रयाजन हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

-अनुसूची-

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाँवसमा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0मे)	भूमि श्रेणी / प्रकृति	विवरण / प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जालौन	उरई	उरई	ददरी	ददरी	1839 1840 1841/9 1842 1852 1970 1973 1974/3 1975 1977 1978	4.497 16.187 8.793 25.232 3.096 18.146 15.113 5.505 12.509 10.360 8.701	6-2/बेहड़ 6-2/बेहड़ 6-2/बेहड़ 6-2/बेहड़ 6-2/बेहड़ 6-2/बेहड़ 6-2/बेहड़ 6-2/बेहड़ 6-2/बेहड़ 6-2/बेहड़ 6-2/बेहड़	ऊर्जा परियोजना के विकास हेतु अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उत्तर प्रदेश के प्लान में 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर।
						11 कित्ता	128.139		

जनपद जालौन में लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एलएसपीडीसीएल) को ऊर्जा परियोजना के विकास हेतु, निदेशक यूपीनेडा के पत्र संख्या 5767/यूपीनेडा-एसई सोलर पार्क/एलएसपीडीसीएल/2014-15 उ.प्र. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ दिनांक 09.02.2024 में किये गये अनुरोध पर ग्राम ददरी तहसील उरई में उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप(संशोधन) संख्या-5/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023-रा0-1 दिनांक 15.03.2023 एवं शासनादेश संख्या-1050/87-अति0ऊ0स्रो0पि0/2023 दिनांक 03 अगस्त 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ0प्र0 को 01 रुपये प्रति एकड़ की दर से कुल 316.50 एकड़ हेतु सांकेतिक मूल्य रुपये 317.00 (रुपये तीन सौ सत्तरह मात्र) वार्षिक किराया जमा करने पर पुनर्ग्रहीत भूमि राजस्व अभिलेखों में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ0प्र0 के नाम 30 वर्षों हेतु पट्टे पर उपलब्ध होगी। गृहीता विभाग द्वारा वार्षिक किराया प्रतिवर्ष, 30 वर्षों तक जमा करना होगा। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक "0029 - भूराजस्व- 800 -अन्य प्राप्तियाँ-08-मासिकाना राजस्व-0808-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ" में जमा की जायेगी। यह कि आवंटित की गयी भूमि का उपयोग दिये गये प्रयोजन से भिन्न होने पर भूमि अनिवार्य रूप से वापिस ले ली जायेगी।

(राजेश कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी जालौन।

पत्रांक 555/आठ-डी0एल0आर0सी0


दिनांक: 04.03.2024

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2 निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 3 उपजिलाधिकारी उरई।

४

4. महामोतदार उरई को इस आराय रो भंगिा कि अतिरिक्त ऊर्जा खोत विभाग उरईदु द्वारा सकेतु मूल्य/मासिक किराया, रूपये 317.00 (रुपये तीन सौ सतराठ मात्र) जमा करते पर 30 बर्षिय परदे पर करव अभिलेखी से अकित की जायेगी। उपरोक्त धनराशि लेखाधीर्षक "0029 - मूलजस- 800 -जस 01-08 -मासिकाना राजस-0900-एकीर्ण प्रादिया" में जमा कर देजरी बालान की प्रति प्रस्तुत करते पर दी उक्त आदेश का बंकन राजस अभिलेखी से काले भुति का कच्चा प्रदान किया जाय। उदरान खलीनी को एक प्रति इस कार्यालय की अभिलेखार्ण उपलब्ध कराये तथा सम्यचित विभाग को भी अदगत कराये।
5. परियोजना अधिकाारी पूरुवेका उरई को सुलनार् एवं इन आराय से भंगिा कि मासिक किराया रूपये 317.00 (रुपये तीन सौ सतराठ मात्र) को उपरिखीत लेखाधीर्षक में जमा कराये तथा रसीद की एक प्रति महामोतदार उरई को एवं छायाप्रति मूलेख कार्यालय को भी उपलब्ध कराये।
6. अधुकर, भुति प्रवचक सभिति ददरी महामोत उरई जसपद जालीन।


 (राजेस कुमार सभिति)
 जिलाधिकारी जालीन।